न्यायालय कलेक्टर जिला बड़वानी (म0प्र0)

क्रमांक / 4185 / रीडर / भूमि आवंटन / 2016

बड़वानी, दिनांक 21-7-2016

प्र.क्र. 37 / अ-74 / 2015-16

::आदेश::

(पारित दिनांक 21-7-2016)

प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेंधवा के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 15.01.2015 द्वारा शा. कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा के भवन निर्माण हेतु ग्राम नवलपुरा तहसील सेंधवा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 132 रकबा 6.252 हेक्टर मे से पैकी रकबा 2.833 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होने से भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया है कि:-

2- प्रकरण मे उक्त भूमि आवंटन के संबंध मे तहसीलदार सेंधवा द्वारा विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। तामिली की प्रति संलग्न है। साथ ही दैनिक समाचार पत्रो मे विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेंधवा को लिखा गया किंतु प्रकाशन की प्रति प्राप्त नही होने से प्रकरण मे संलग्न नही की गई।

3- प्रकरण में आवेदित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत नवलपुरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया किंतु नियम समयावधि मे अनापत्ति प्राप्त नही होने से माना गया की उन्हे भूमि आवंटन के संबंध मे कोई आपत्ति नही है। सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश खरगोन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जो शामील फाईल है। तहसीलदार सेंधवा द्वारा मौका स्थल निरीक्षण जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया की मौके पर भूमि रिक्त होकर खुली पड़ी है एवं शमशान, कब्रस्तान, मंदिर, मस्जिद आदि नहीं है. किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। शा. कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा निर्माण के भवन निर्माण हेतु ग्राम नवलपुरा तहसील सेंधवा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 132 रकबा 6. 252 हेक्टर मे से पैकी रकबा 2.833 हेक्टर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा सह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा द्वारा तहसीलदार के उक्त जाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए शा.कन्या परिसर सेंधवा के भवन निर्माण हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बड़वानी को भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

3- अतः तहसीलदार सेंधवा के जॉच प्रतिवेदन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा की अनुशंसा तथा प्रकरण मे संलग्न किये गये अभिलेख के आधार पर ग्राम नवलपुरा तहसील सेंधवा की शासकीय भूमि सर्वे न. 132 रकबा 6.252 हेक्टर मे से पैकी रकबा 2.833 हेक्टर भूमि शा. कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा के भवन निर्माण हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बड़वानी को राजस्व

पुस्तक परिपत्र की खण्ड—4 क्रमांक 2 की कंडिका 5 के तहत निम्न शर्तों के अधीन भूमि आवंटित की जाती है :—

1— म.प्र.शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य / भू—भाटक आदि के संबंध में कोई शासनादेश / निर्देश दिये जाते है या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है तो उन्हें मानने के लिये आवेदक विभाग बाध्य होगा।

2— भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त होकर शासकीय भूमि पुनः शासन में समाविष्ट होगी।

3— सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन के पत्र क्रमांक 484 / नजूल—71 / न / 16 खरगोन दिनांक 22.04.2016 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर
जिला बड़वानी म.प्र.

पृ.क्रमांक / 4186 / रीडर / भूमि आवंटन / 2016 बड़वानी, दिनांक 21-7-20

प्रतिलिपि:—

1— प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
2— प्रमुख राजस्व आयुक्त राहत भवन प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल।
3— सचिव म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4— आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल।
5— आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6— सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी।
7— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा।
8— जिला शिक्षा अधिकारी, बड़वानी।
9— प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेंधवा।
10— तहसीलदार सेंधवा की ओर आदेश की प्रति सह मूल प्रकरण भेजकर लेख है कि नियमानुसार सम्पूर्ण पूर्णता एवं आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट कर संशोधित अभिलेख संलग्न कर मूल प्रकरण वापस प्रेषित करें सलग्न—मूल प्रकरण

कलेक्टर
जिला बड़वानी म.प्र.